सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कैलाशचन्द व अन्य / बाबूलाल व अन्य

वाद सं. 35/2019

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28/04/22	अधिवक्तागण अनुपस्थित रहते हुए आज भी अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि पक्षकारान अब वाद के प्रति गंभीर नहीं है। अत: पत्रावली वास्ते उचित अग्रिम कार्यवाही / आदेश दिनांक 19/05/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	19/5/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष तथा उभयपक्षकारान स्वयं भी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान लम्बे समय से निरन्तर अनुपस्थित है। जिसके क्रम में आज भी अनुपस्थित है। अग्रिम आदेश से पूर्व न्यायहित के दृष्टिगत सर्वथा अंतिम अवसर पक्षकारान को उपस्थिति प्रस्तुत करने व अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु दिया जाता है। आगामी तारीख पर आवश्यक रूप से वादीगण के उपस्थित नहीं होने व अपेक्षित कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होने पर प्रावधान के अन्तर्गत उचित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पत्रावली दिनांक 31/5/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर	
	31/5/22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] मय अधिवक्ता व प्रतिवादीगण भी अनुपस्थित। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता को शाम 5:00 बजे तक बार बार आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादीगण मय अधिवक्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:36:35 IST
Reason: SelfAttested

P.T.O.

फर्द अहकाम

न्यायालय: सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर मु. जयपुर

कैलाशचन्द व अन्य **बनाम** बाबूलाल व अन्य

मुकदमा संख्या /वर्ष : 35 /2019

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	31/05/22	अनुपस्थित रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण लम्बे अर्से से निरन्तर नियत तारीख पेशियों पर अनुपस्थित रहते हुए आज भी अनुपस्थित है। वादीगण को न्यायहित व इंसाफात पूर्व से ही कई अवसर उपस्थिति व अपेक्षित कार्यवाही प्रस्तुत करने हेतु दिये जाते रहे है। इसके उपरान्त भी वादीगण ना तो न्यायालय कक्ष में उपस्थित हुए ना ही अपेक्षित कार्यवाही प्रस्तुत की गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण अब वाद के प्रति इच्छुक/गंभीर नहीं है। इसी आशय से निरन्तर अनुपस्थित रहते हुए अपेक्षित कार्यवाही भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर हो [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:36:35 IST
Reason: SelfAttested